

उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-81/1493/एक-1-2016-24(12)/2016

लखनऊ: दिनांक: 17 नवम्बर, 2016

**अधिसूचना**

जिलाधिकारी, बदायूं के पत्र संख्या-253/12-ए.बी., दिनांक 26.06.2016 द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम यूसुफ नगर में राजकीय कन्या इण्टर कालेज की स्थापना हेतु गाटा संख्या 310 म रकबा 1.635 हे० भूमि चिन्हित की गयी। यह भूमि अभिलेखों में स्कूल फार्म के रूप में दर्ज है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बदायूं द्वारा अपने पत्रांक बेसिक/9651-52/2016-17, दिनांक 26.06.2016 द्वारा परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय यूसुफ नगर के प्रॉगण में राजकीय कन्या इण्टर कालेज की स्थापना हेतु अनापत्ति दिया गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक, बदायूं द्वारा अपनी आख्या दिनांक 26.06.2016 में उक्त भूमि उपयुक्त होने पर अपनी सहमति व्यक्त की है।

2. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बदायूं, जिला विद्यालय निरीक्षक, बदायूं की आख्या तथा जिलाधिकारी, बदायूं के प्रस्ताव के आलोक में राजकीय कन्या इण्टर कालेज की स्थापना के व्यापक जनहित के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल ग्राम यूसुफ नगर परगना, तहसील व जनपद बदायूं स्थित बेसिक शिक्षा विभाग के प्रबन्धन में रखी गयी भूमि गाटा संख्या 310 म रकबा 1.635 हे० जो राजस्व अभिलेखों में स्कूल फार्म श्रेणी-6-2, अकृषिक भूमि-स्थल, सड़कें, रेलवे, भवन और ऐसी दूसरी भूमिया जो अकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो, लोक प्रयोजन भूमि का श्रेणी परिवर्तन किये जाने की सहर्ष अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

- (1) स्कूल फार्म भूमि का श्रेणी परिवर्तन विशेष परिस्थितियों के दृष्टिगत केवल राजकीय कन्या इण्टर कालेज की स्थापना हेतु किया जा रहा है।
- (2) माध्यमिक शिक्षा विभाग सेवारत विभाग की श्रेणी में है। अतः उक्त भूमि का श्रेणी परिवर्तन निःशुल्क किया जा रहा है।
- (3) राजकीय कन्या इण्टर कालेज की स्थापना से परिषदीय विद्यालय के अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के पठन-पाठन तथा शैक्षिक गुणवत्ता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
- (4) परिषदीय विद्यालय हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध है। अतः इसके लिए विनिमय की आवश्यकता नहीं है।
- (5) उक्त भूमि का उपयोग केवल राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना हेतु किया जायेगा। अन्य किसी प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा।
- (6) कलेक्टर द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना से परिषदीय विद्यालय के संचालन, शिक्षा व्यवस्था एवं शैक्षिक परिवेश पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

- (7) ग्राम यूसुफ नगर परगना, तहसील व जनपद बदायूं स्थित गाटा संख्या 310 म रकबा 1.635 हे० भूमि माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखी जायेगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग को भूमि की आवश्यकता न होने पर उसे शीघ्रता से राजस्व विभाग को वापस कर दिया जायेगा।
- (8) लोक प्रयोजन की भूमि का श्रेणी परिवर्तन आदेश प्राप्त होने पर कलेक्टर अधिकार अभिलेख (खतौनी) और मानचित्र में तदनुसार संशोधन की कार्यवाही 15 दिन में पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।
3. कलेक्टर, बदायूं द्वारा इस आदेश की प्रतियों कलेक्टर न्यायालय के सूचना पट पर तहसील भवन तथा सम्बन्धित ग्राम में किसी सहज दृश्य स्थान पर चस्पा करायें तथा प्रत्येक स्थान पर उक्त आदेश के चस्पा होने की तिथि अंकित करते हुए अनुपालन आख्या आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ एवं राजस्व अनुभाग-1/शिक्षा अनुभाग-5/शिक्षा अनुभाग-10 उत्तर प्रदेश शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. उक्त सभी शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन कलेक्टर, बदायूं द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार)  
प्रमुख सचिव।

संख्या-1493(1)/एक-1-2016-24(12)/2016 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग/माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. आयुक्त] बरेली मण्डल, बरेली ।
4. कलेक्टर, बदायूं को उनके पत्र संख्या-253/12-ए.बी., दिनांक 26.06.2016 के क्रम में।
5. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बदायूं।
6. जिला विद्यालय निरीक्षक, बदायूं।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश सगर)  
विशेष सचिव।